



क्षेत्रीय कार्यालय

फोन : 2529157

## 30 प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

ब्लाक ई-12/1, सेक्टर-1, नोएडा, जनपद-गौतमबुद्ध नगर

संदर्भ संख्या

691/C/5-202/11

पंजीकृत

दिनांक 3-6-11

मै०.आई.केयर.आई.हास्पिटल.एण्ड.पोस्ट.ग्रेजुएट.इन्स्टीट्यूट,  
ई-3ए, सेक्टर-26,  
नोएडा

विषय : जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 25/26 और इसके संशोधित अधिनियम 1978 के अन्तर्गत घरेलू/प्रक्रिया से जनित उत्प्रवाह निस्तारण हेतु सहमति।

महोदय,

कृपया अपने पत्रांक ..... शून्य ..... दिनांक 03-12-2015 .....  
के साथ संलग्न आवेदन पत्र का संदर्भ लें। आपके सहमति आवेदन पत्र का परीक्षण किया गया तथा सर्वात सहमति  
आदेश पत्रांक 9/12/14/11 दिनांक 3-6-11 ..... संलग्न हैं। आपका ध्यान निम्न  
बिन्दु सं० 1,2,6,7,8,9,10 ..... पर आवश्यक कार्यवाही करने हेतु दिलाया जा रहा है।

1. सहमति शर्तों तथा निम्न बिन्दुओं का कड़ाई से पालन किया जाना सुनिश्चित करें तथा अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के भीतर प्रेषित करें।
2. जल सप्लाई स्रोत के विभिन्न बिन्दुओं पर जल मापक मीटर अवश्य लगवायें। जल मीटर की मापी गई रीडिंग हर महीने समय से अवश्य भेजे।
3. उद्योग से प्रतिदिन निस्तारित होने वाले उत्प्रवाह को मापने हेतु ड्रेन में अन्तिम निस्तारण बिन्दु से पूर्व वी नाच या कोई मापक यंत्र लगवायें, वी-नाच की मापी गई सूचनाये तथा कैलीब्रेशन चार्ट समय - समय पर प्रेषित करें।
4. घरेलू उत्प्रवाह शुद्धीकरण संयंत्र के डिजाइन तथा विस्तृत विवरण और जल निस्तारण व्यवस्था का रेखांकित मानचित्र (ले आउट प्लान) इस पत्र प्राप्ति के एक माह के भीतर प्रेषित करें।
5. आपके उद्योग की ऑडिट की हुई वर्ष ..... की बेलेन्सशीट की प्रतिलिपि या चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट द्वारा पूर्ण विनियोजन (अचल सम्पति + वर्तमान सम्पति - वर्तमान जिम्मेदारियाँ) का सत्यापित प्रमाण-पत्र प्रेषित करने की निर्देश दिये जाते हैं। जिससे की आपके द्वारा देय सहमति शुल्क की जांच की जा सके।
6. यह सहमति केवल घरेलू उत्प्रवाह के निस्तारण हेतु मान्य है। औद्योगिक उत्प्रवाह किसी भी स्थिति में निस्तारित न किया जाये।
7. कृपया स्थापित उत्प्रवाह शुद्धीकरण संयंत्र का प्रभावी संचालन तथा रख रखाव सुनिश्चित करें जिससे की उत्प्रवाह का निस्तारण बोर्ड द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप हों।
8. कृपया ठोस अवशिष्ट पदार्थों को इस प्रकार से निस्तारित करना सुनिश्चित करें जिससे कि नदी, सरिता, भूमिगत जल या अन्य किसी स्रोत का जल प्रदूषित न हो।
9. उचित मात्रा में वृक्षारोपण कर जिससे कि वातावरण में सुधार हो तथा प्रगति आख्या हर तीसरे महीने भेजे।

WATER

(1)



क्षेत्रीय कार्यालय  
**उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड**

ब्लाक ई-12/1, सेक्टर-1, नोएडा जनपद-गौतमबुद्ध नगर

केवल सरिता/भूमि में निस्तारण के लिए

वर्तमान/बदली हुई क्षमता के लिए

फार्म XV

**सहमति आदेश पत्र**

संख्या

912/14/11

(सहमति/जल आदेश/

5202

नोएडा, दिनांक 3-6-11

विषय: आई केयर आई हास्पिटल एण्ड पोस्ट ग्रेजुएट इन्स्टीट्यूट, ई-3ए, सेक्टर-26, नोएडा को जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (यथा संशोधित) की धारा 25/26 के अन्तर्गत उत्प्रावाह निस्तारण हेतु सहमति।

संदर्भ : आवेदन पत्र संख्या शून्य

दिनांक 03-12-2015

10. जल राशि या सीवर में भूमि पर वर्हिभाव के निस्तारण के लिए जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 जिसे आगे उक्त अधिनियम कहा गया है कि अधीन सहमति प्राप्त करने के लिए उपर्युक्त आवेदन पत्र के निर्देश में उपरोक्त को उसके परिवार से निकलने वाले उसके घरेलू नगर पालिका/औद्योगिक वर्हि:भाव के स्थानीय सरिता/नदी/कुएँ/ में भूमि पर निस्तारण करने के लिए अनुलग्नक में उल्लिखित सामान्य और विशेष शर्तों के अनुसार बोर्ड द्वारा प्राधिकार दिया जाता है।

2. यह सहमति दिनांक 03-12-2015 से 31-12-2017 के लिए मान्य होगी।

3. इस सहमति आदेश में अंकित प्राविधानों तथा सहमति शर्तों के होते हुए भी 30 प्र0 प्रदूषण बोर्ड, लखनऊ, जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1974 और इसके संशोधित अधिनियम 1978 धारा 27 (2) के अन्तर्गत वर्णित किसी/सभी शर्तों पर पुनः/विचार करने या संशोधन के लिए अधिनियम के अनुसार जो उचित हो, का अधिकार व शक्ति, बोर्ड आरक्षित रखती हैं।

4.

संलग्नक : अनुलग्नक

क्षेत्रीय अधिकारी

(3)

9. शुद्धिकृत घरेलू व औद्योगिक उत्प्रावह मिलाकर (उपरोक्त शर्त संख्या 2 के प्राविधानों के अनुसार) एक ही निस्तारण बिन्दु से निस्तारित किया जाये। इस संयुक्त उत्प्रावह निस्तारण बिन्दु पर उत्प्रावह मापने की कुछ व्यवस्था होनी चाहिये।
10. शुद्धिकृत घरेलू व औद्योगिक उत्प्रावह शर्त संख्या 9 वर्णित संयुक्त निस्तारण बिन्दु से अन्तिम निस्तारण बिन्दु में पक्के, ढके हुए बन्द पाइप युक्त ड्रेन से होकर निस्तारित किया जाये।
- पचकी ड्रेन या बन्द पाइप को इस प्रकार बिछाना चाहिए जिससे कि अनाधिकृत व्यक्तियों द्वारा उसमें नुकसान न पहुँचाया जाये। टर्मिनल निस्तारण बिन्दु को भी टर्मिनल मेनहोल की भांति बनाया जाये / बन्द पाइपों में स्थल की आवश्यकता के अनुसार माध्यमिक निरीक्षण बक्ष बनवाये जाये।
11. इस शर्तों का विशेष रूप से उत्प्रावह शुद्धिकरण, उत्प्रावह मापन, नमूना एकत्र करने की व्यवस्था, टर्मिनल मेनहोल व टर्मिनल निस्तारण बिन्दु के सम्बन्ध में दिनांक.....या उससे पहले पूर्ण अनुपालन किया जाये।
12. बोर्ड से निर्गत सहमति की प्राप्ति के 30 दिन के भीतर तथा उसके बाद प्रत्येक महीने की दस तारीख तक मासिक प्रगति आख्या, सहमति शर्तों की अनुपालन आख्या के साथ जरूर भेजें।
13. विस्तृत निर्माण स्थल रेखाचित्र उत्प्रावह से जाने वाली पाइप लाइन की अनुदैर्घ्य काट व प्लान तथा शर्त 8, 9 व 10 में वर्णित अन्तिम निस्तारण बिन्दु का स्थल रेखाचित्र इस सहमति आदेश के जारी करने के एक माह के भीतर बोर्ड को भेजें।
14. परिसर में एकत्र होने वाले बरसात/तूफान के जल की भली भांति रखा जाये और किसी भी बिन्दु पर घरेलू व औद्योगिक अवशिष्ट से मिलने न दिया जाये। कच्चे माल, उत्पाद या अन्य कोई पदार्थ जो तूफानी जल के साथ बहकर जा सकते हों, को खुले ढेर न लगाया जाये।
15. फैक्ट्री परिसर में उत्पन्न होने वाले सभी ठोस अवशिष्ट पदार्थों का भली भांति वर्गीकरण व निम्न प्रकार से निस्तारण किया जाये।
- (i) अक्रिय पदार्थ होने पर उसका भूमि भराव के लिए इस प्रकार प्रयोग सुनिश्चित किया जाए कि रिसाव की स्थिति पैदा न हो जिससे कि वह भूमिगत जल में प्रवेश न करे या बरसाती तूफानी जल के द्वारा बहा न दिया जाये।
- (ii) ज्वलनशील कार्बनिक पदार्थ होने पर नियंत्रित प्रज्वलन किया जाये।
- (iii) जैविक अवघट्य पदार्थ होने पर कम्पोस्टिंग की जाय।
16. विषैले पदार्थों का विषैलापन अगर सम्भव हो सके तो दूर किया जाए अन्यथा उन्हें बोर्ड की लिखित अनुमति प्राप्त कर सुरक्षित क्षेत्रों में मुहरबन्द स्टील ड्रम में रखा और दफनाया जाये। विषमुक्त करने या मुहरबन्द करने और दफनाने का कार्य बोर्ड के अधिकृत व्यक्ति की उपस्थिति में ही अनुमति लेकर किया जाय।
17. यदि फैक्ट्री किसी संयंत्र/संयंत्रों में कोई दोषपूर्ण स्थिति उत्पन्न हो जिसके फलस्वरूप निस्तारित उत्प्रावह की मात्रा बढ़ जाए और या उपरोक्त पैरा 3 व 4 वर्णित मानकों का उल्लंघन हो तो बोर्ड को टेलीफोनिकली तथा आचलिक स्वास्थ्य अधिकारी/मुख्य चिकित्सा अधिकारी को स्थिति बताते हुए सूचित किया जाय।
18. प्रार्थी फैक्ट्री के अन्दर व परिसर में अच्छा रख-रखाव स्थापित करें। सभी पाइप, बाल्व, सीवर और ड्रेन रिसावरोधी होने चाहिए फर्श की धुलाई से जनित उत्प्रावह, एकत्र करने की व्यवस्था में प्रवेश करना चाहिए और शर्त के अनुसार किसी बरसाती/तूफानी जल की नाली या खुले स्थान पर नहीं जाने दिया जाना चाहिए।

19. प्रार्थी की टर्मिनल, मेनहोल तथा अंतिम निस्तारण बिन्दु पर बोर्ड के स्टाफ या बोर्ड द्वारा अधिकृत एजेन्सी के लिए उत्प्रावह का नमूना एकत्र करने की व्यवस्था करनी चाहिए।
20. शुद्धिकृत घरेलू व प्रक्रिया जनित उत्प्रावह का नमूना किसी भी सामान्य उत्पादन कार्य किये जाने वाले दिन, तीन महीने में एक बार लिया जाये और उन्हें शर्त संख्या 3 व 4 में दी हुई सीमा के अनुसार सभी प्रचालकों के लिए विश्लेषित किया जायें। संलग्न प्रपत्र के अनुसार पूर्ण विश्लेषण करवाने के बाद तुरन्त/समय-समय पर विश्लेषण आख्या बोर्ड में जमा की जाये।
21. प्रार्थी/कम्पनी बिना लापरवाही किए इस सहमति आदेश में दिए गए निर्देशों तथा बाद में समय-समय पर निर्गत निर्देशों का अनुपालन करें। प्रार्थी/कम्पनी अगर किसी समय निर्गत किसी आदेश/निर्देश का पालन न करें। और/या इस सहमति आदेश की शर्तों का उल्लंघन करे तो वह कानून/अधिनियम के प्राविधानों के अन्तर्गत विधिक कार्यवाही के लिए उत्तरदायी होगी।
22. प्रार्थी बोर्ड की पूर्व लिखित सहमति के बिना अन्तिम निस्तारण बिन्दु और उत्प्रावह की गुणता व मात्रा उत्प्रावह निस्तारण की दर, उत्प्रावह का तापमान न बदलें या परिवर्तन न करें।
23. उपरोक्त शर्तें जब तक अधिनियम/संशोधित अधिनियम की धारा 27 (2) के अन्तर्गत समाप्त नहीं कर दी जाती है, तब तक लागू रहेगी।
24. प्रार्थी की सहमति की अवधि समाप्त होने के कम से कम 30 दिन पहले या प्रस्तावित नये या परिवर्तित निस्तारण बिन्दु के चालू होने और / या निस्तारण किए जाने के 30 दिन पूर्व जो भी पहले हो, तक सहमति के नवीनीकरण हेतु आवेदन करना चाहिए।
25. एक निरीक्षण पुस्तिका खोली जानी चाहिए और बोर्ड के अधिकारियों को फैक्ट्री भ्रमण के समय उपलब्ध कराया जाना चाहिए।
26. प्रार्थी उत्प्रावह शुद्धिकरण संयंत्र या संस्थान के निर्माण, स्थापना या प्रयोग में लाने सम्बन्धी कोई भी सूचना और जल प्रदूषण निवारण व नियंत्रण से सम्बन्धित सूचना फैक्ट्री में बोर्ड से आये अधिकारी और/या बोर्ड को अवश्य करायें।
27. फैक्ट्री परिसर से अंतिम निस्तारण बिन्दु जैसे साल भर बहने वाली नदी या सिंचाई योग्य फार्म तक उत्प्रावह से जाने वाली चैनल, सीवर ड्रेन या नाले में पर्याप्त प्रवाह सुनिश्चित किया जाए। जल के भराव जिससे एनारोधिक स्थितियाँ या मच्छरों की पैदावार हो, को नदी होने दिया जाए।
28. निदेशक (निदेशकों), साझेदार (साझेदारी) प्रोपराइटर (प्रोपराइटरों) के नाम, पते व टेलीफोन की सूची दी जाए।
29. इस सहमति आदेश में अंकित प्राविधान तथा दिए गए सहमति शर्तों के होते हुए भी 30 प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड नोएडा (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 तथा इसके संशोधित अधिनियम 1978 की धारा 27 (2) के अन्तर्गत उपरोक्त वर्णित किसी भी / सभी शर्तों में पुनः विचार करने या संशोधन के लिए अधिनियम के अनुसार जो उचित हो, का अधिकार व शक्ति, बोर्ड आरक्षित रखनी हैं।

  
क्षेत्रीय अधिकारी

WATER

(2)

## उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, नोएडा

सहमति आदेश सं०.....सहमति/

दिनांक.....का संलग्नक

### सहमति शर्तें

1. अधिकतम दैनिक उत्प्रावह और प्रति घंटे में निस्तारण होने वाले उत्प्रावह की दर निम्न से अधिक नहीं होनी चाहिए।

उत्प्रावह का प्रकार	अधिकतम दैनिक निस्तारण मी <sup>3</sup>	अधिकतम प्रति घंटा निस्तारण मी <sup>3</sup>
(i) घरेलू.....	15.0 के०एल०डी०(एस०टी०पी०के उपरान्त नोएडा सीवर में)	
(ii) औद्योगिक.....	0.0.....	
(अ) प्रक्रिया जल ब्लीड घोने से जल सहित.....		
(ब) शीतलम जल .....		

2. ब्लीड जल सहित प्रक्रिया में प्रयुक्त जल तथा घरेलू उत्प्रावह को एकत्र करने के लिए अलग-अलग बन्द जल प्रवाह की व्यवस्था बनाई जाये। एकत्र करने की व्यवस्था के अंतिम छोर पर टर्मिनल मेनहोल, उत्प्रावह मापन तथा उत्प्रावह का नमूना एकत्र करने की व्यवस्था होनी चाहिए। कोई भी उत्प्रावह टर्मिनल मेनहोल के डाउन स्टीम पर सीवर में प्रवेश नहीं करना चाहिए। सहमति आवेदन पत्र में सूचित उत्प्रावह के अलावा अन्य कोई उत्प्रावह एकत्र करने की व्यवस्था में प्रवेश नहीं करना चाहिए। तथा यह भी सुनिश्चित करें कि घरेलू उत्प्रावह स्टीम वाटर ड्रेन में निस्तारित न हो।
3. घरेलू उत्प्रावह सेप्टिक टैंक या अन्य शुद्धिकरण सयंत्र में शुद्धिकृत किया जाये जिससे शुद्धिकृत उत्प्रावह निम्न मानकों के अनुरूप हो।
- |                               |                              |
|-------------------------------|------------------------------|
| 20° से० पर 5 दिन की बी ओ० डी० | 30 मिग्रा/ली० से अधिक न हो।  |
| कुल निलम्बित ठोस              | 100 मिग्रा/ली० से अधिक न हो। |
4. सभी प्रक्रियाओं से जनित उत्प्रावह ब्लीड जल, शीतलन उत्प्रावह, फर्श व उपकरणों की धुलाई से जनित उत्प्रावह सहित औद्योगिक उत्प्रावह निस्तारित होने से पूर्व इस प्रकार शुद्धिकृत किया जाये की उत्प्रावह बोर्ड द्वारा सं० 713/37/83/19/ए आर एन दिनांक 6-4-83 में निर्धारित मानकों के अनुरूप हो।
5. अन्य प्रचालक जिनके मान मानक में न दिये हो उनका नाम उद्योग में निर्माण प्रक्रिया में प्रयुक्त किये जाने वाले जल के मानकों से अधिक नहीं होना चाहिए।
6. घरेलू तथा औद्योगिक उत्प्रावह के नमूने एकत्र करने व विश्लेषित करने की विधि भारतीय मानक 4733 व 2488 और इसके बाद संसाधनों के अनुरूप होनी चाहिए।
7. विश्लेषित करने के लिए नमूना शर्त संख्या 2 में संदर्भित टर्मिनल मेनहोल से एकत्रित किया जाना चाहिए।
8. शर्त संख्या 2 में संदर्भित टर्मिनल मेनहोल ऊपर से ढके, ताले लगाने की व्यवस्था युक्त, कम से कम MX 15 व साइज और आवश्यक गहराई के ईट या सीमेंट कंक्रीट के चेम्बर होने चाहिए। टर्मिनल मेनहोल में उत्प्रावह मापने तथा विश्लेषण के लिए नमूना लेने की व्यवस्था उपलब्ध होनी चाहिए।

WATER

10. आपको उपकर अधिनियम 1977 में वांछित नियमों का पूर्णतया पालन करने और बोर्ड को इस सम्बन्ध में प्रगति भेजने की सलाह दी जाती है।

इस सहमति आदेश में अंकित प्राविधान तथा सहमति शर्तों के होते हुये भी उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ, जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 तथा इसके संशोधित अधिनियम 1978 की धारा 27(2) के अन्तर्गत उपरोक्त वर्णित किसी भी/सभी शर्तों में पुनः विचार करने या संशोधन के लिए अधिनियम के अनुसार जो उचित हो का अधिकार व शक्ति बोर्ड आरक्षित रखता है।

संलग्नक : उपरोक्तानुसार।

  
(डा० वी०वी० अवस्थी)  
क्षेत्रीय अधिकारी

पृ० संख्या.....

तद् दिनांक.....

प्रतिलिपि : मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त एक) उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पिकप भवन, तृतीय तल, बी ब्लॉक, विभूति खण्ड गोमती नगर, लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

क्षेत्रीय अधिकारी.